"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 572] नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 जुलाई 2025 — श्रावण 6, शक 1947

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21 जुलाई 2025

अधिसूचना

ESTB/4905/2025-HOME SECTION — राज्य सरकार, भारतीय नागरिक सुरक्षा, संहिता 2023 (अधिनियम सं. 46 सन् 2023) की धारा 265 की उप–धारा (3) के द्वितीय परंतुक, धारा 266 की उप धारा (2) के द्वितीय परंतुक, तथा धारा 308 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, कलेक्टर, जिला खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई एवं उनके अधिकार क्षेत्र में स्थित जिला कलेक्टोरेट, कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद पंचायत तथा अन्य कार्यालयों में संचालित निम्नलिखित विडियो कांफ्रेंसिंग कक्षों को, निर्दिष्ट स्थानों के रूप में अधिसूचित करता है, अर्थात्:–

क्रं.	स्थान	अधिसूचित किये जाने वाले कार्यालय का नाम
1	खैरागढ़	कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
2	खैरागढ़	कार्यालय पुलिस अधीक्षक
3	खैरागढ़	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
4	गण्डई–छुईखदान	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
5	खैरागढ़	कार्यालय जनपद पंचायत
6	छुईखदान	कार्यालय जनपद पंचायत
7	खैरागढ़	कार्यालय तहसीलदार
8	छुईखदान	कार्यालय तहसीलदार
9	खैरागढ़	कार्यालय उपजेल खैरागढ़

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिषेक अग्रवाल, उप–सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.